राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या– 1379/2015/जयपुर

मैसर्स रेकिट बेन्काईजर इण्डिया लि.,
बी–139,रोड़ नम्बर–12, वी.के.आई.ए.जयपुर.
.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन राजस्थान वृत–तृतीय,
जयपुर ....प्रत्यर्थी

2. अपील संख्या– 2138/2015/जयपुर

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन राजस्थान वृत–तृतीय, जयपुर।
.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स रेकिट बेन्काईजर इण्डिया लिमिटेड,
बी–139,रोड़ न.–12,वीकेआईए, जयपुर
.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एस.के.जैन, अधिवक्ता ....व्यवसायी की ओर से
श्री एन.के.बैद, उप राजकीय अधिवक्ता .....विभाग की ओर से

निर्णय

निर्णय दिनांक : 29.06.2017

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील संख्या **1379/2015** विद्वान अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गयी हैं जिनके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन राजस्थान तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित निर्धारण आदेश को आंशिक रूप से स्वीकारते हुए आरोपित कर व ब्याज की पुष्टि की एवं शास्ति राशि को अपास्त किया है। इसी प्रकार विभाग द्वारा शास्ति के बिन्दु पर अपील संख्या **2138/2015** प्रस्तुत की गयी हैं।

2. दोनों अपीलों में विवादित मुख्य बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की मूल प्रति पत्रावलियों पर पृथक से रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जांच अधिकारी द्वारा व्यवसायी के व्यवसाय–स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 26.04.2013 को किये जाने एवं प्रस्तुत दस्तावेजों की जाँच पर पाया गया कि व्यवसायी द्वारा राज्य में Anti mosquito devices and repellants, Delltol Soap, Brasso, Harpic Toilet Cleaner, Lizol Floor Cleaner, Manson Polish, Robin Blue, Rat Kill, Teenaploe, Drugs & Medicines आदि का कारोबार किया जाता है। व्यवसायी द्वारा आलोच्य अवधियों में **Harpic Toilet cleaner, Lizol Floor Cleaner** पर 5 प्रतिशत की दर से वेट संग्रहित कर, कर चुकाया जा रहा है किन्तु निर्धारण करते समय कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त वर्णित वस्तुओं को अधिनियम की सूची–V के अनुसार 14 प्रतिशत से होना मानकर, व्यवसायी द्वारा की गयी बिक्री पर अन्तर कर तथा आरोपित कर के अदत्त रहने के कारण, अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत अनुवर्ती ब्याज आरोपित किया गया तथा व्यवहारी द्वारा जानबूझकर 9 प्रतिशत कर का करापवंचन किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्तियां भी निम्नतालिकानुसार आरोपित की गयी है। कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों के विरूद्ध व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवसायी की अपीलों

लगातार...............2

को आंशिक रूप से स्वीकार कर, **लाईजोल** (Lizol) और **हारपिक** (Harpic) नाम के उत्पादों की कर देयता अनुसूची–V के अनुसार मानते हुए, अन्तर कर व ब्याज को सही ठहराया एवं धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त कर किया। जिनके विरूद्ध निम्नतालिकानुसार व्यवसायी व विभाग द्वारा पृथक्–पृथक् अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है।

अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं. व आदेश दिनांक	कर नि. आ. दि	वि. वर्ष	अन्तर कर	शास्ति	ब्याज
1379/15	170/अपी–III/14–15/13.07.15	17.06.14	13–14	1,56,06,878	–	11,70,514
2138/15	170/अपी–III/14–15/13.07.15	17.06.14	13–14	–	3,12,13,756	–

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

5. व्यवसायी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्को में यह कहा है कि रेकिट बैन्काईजर इण्डिया लि0 द्वारा **"हारपिक"** व **"लाइजोल"** आदि का व्यवसाय किया जाता है, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची–IV की संख्या 21 व 29 के अतंर्गत आते है और इन्हीं के अनुसार, व्यवसायी द्वारा पूर्व में भी उक्त वर्गीकृत कर की दर के अनुसार ही, इन वस्तुओं पर, कर अदा किया जाता रहा है, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा गलत आधार पर किये गये निर्धारण आदेशों को उपायुक्त(अपील्स) द्वारा अविधिक रूप से स्वीकार किया गया है क्योंकि व्यवसायी द्वारा बिक्रीत **"हारपिक"** व **"लाइजोल"** नामक उत्पाद राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची–V की एन्ट्री संख्या **21** व **29** से शासित है और इन पर तद्नुसार कर की राशि अदा की जा रही है परन्तु कर की विशिष्ट एन्ट्री से हट कर, आक्षेपित आदेश से **"लाईजोल"** व **"हारपिक"** उत्पादों को अनुसूची–V के अनुसार मूल्यांकित करके, कर की दर अधिरोपित की गयी है, जो अविधिक है। राजस्व द्वारा इन उत्पादों को कथित रूप से सफाई प्रदान करने क्लीनिंग ऐजेन्ट्स रूपी उत्पाद मानकर अविधिक रूप से इन्हें अनुसूची–V के आधार पर करारोपित करने का जो आदेश पारित किया गया है, वह उचित नहीं है। अपीलीय अधिकारी ने भी उक्त आदेश की अविधिक तौर पर पुष्टि की है। अतः **"हारपिक"** व **"लाईजोल"** नामक वस्तुओं के संबंध में पारित निर्णय को अपास्त कर, व्यवसायी रेकिट बैन्काईजर इण्डिया लि0 की अपील स्वीकार की जावें और शास्ति के बिन्दु पर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाने का निवेदन किया है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय एस.बी. सेल्स टैक्स रिवीजन/रेफरेन्स संख्या 11/2012 व अन्य मैसर्स रेकिट बैन्काईजर (इण्डिया) लि0 बनाम सरकार निर्णय दिनांक 07.04.2017 को उद्धरित किया।

6. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि **"हारपिक व लाइजोल"** उत्पाद **"इनसेक्टीसाइड"** नहीं होकर, ये **"सफाई"** के काम में आने वाले उत्पाद है और इन उत्पादों की पैकिंग पर चिपकाये गये लेबल पर ऐसा ही अंकित है। व्यवसायी द्वारा इन उत्पादों पर सही कर अदा नहीं करके, करवंचना की गयी है और व्यवसायी रेकिट बेन्काईजर इण्डिया लिमिटेड द्वारा उपर्युक्त वर्णित दोनों उत्पाद **"हारपिक"** व **"लाईजोल"** **"इनसेक्टीसाइड"** नहीं है एवं इस पर अनुसूची–V के अनुसार ही कर का

लगातार...............3

दायित्व बनता है। पेस्टी साइडस जो व्यवहारी ने 5 प्रतिशत करदेयता दर्शाकर, कर जमा कराया है अतः देय कर जमा नहीं करवा कर करवंचना की गई है जिस पर सुनवाई का अवसर दिया जाकर कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित की थी, वह उचित व विधिनुकूल थी जिसको अपीलीय अधिकारी ने अपास्त किया है जिसको पुनः प्रतिस्थापित की जाने की प्रार्थना की।

7. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी, प्रस्तुत न्यायिक व्यवस्था तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

इसी व्यवहारी के प्रकरणों में समान तथ्यों पर आधारित निर्णय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय एस.बी. सेल्स टैक्स रिवीजन/रेफरेन्स संख्या 11/2012 व अन्य मैसर्स रेकिट बैन्काईजर (इण्डिया) लि0 बनाम सरकार निर्णय दिनांक 07.04.2017 में निम्नानुसार आदेश पारित किये है :–

............Here, in the peresnt case, there are two possible view: either to take the products Harpic and Lizol to be merely stain remover and cleansing agents or as disinfectants and in respect of Dettol, to treat it as a mere toilet preparation or a drug or medicine. Science there are sufficient materials to consider Harpic and Lizol as disinfectants and accordingly, as pesticides, and Dettol as medicament, following the aforesadi principle of law, it can be held that the said products are pesticides and drugs respectively.

39. In view of the aforesaid possible views taken to consider Harpic and Lizol as pesticides and Dettol as a drug, based on material as discussed above, it will not be appropriate to deny their qualification under the aforesaid Entry Nos. 19 and 21 and consign them to the residuary entry. In this connection, we may recollect the observations of the Hob'ble Supreme Court in the Dunlop India Ltd. Vs Union of India,(1976) 2 SCC 241, where the Hon'ble Supreme Court held as :-

35. It is good fiscal policy not to put people in doubt and quandary about their liability to duty. Ween a particular product like V.P. Latex known to trade andcommerce in this country and abroad is imported, it would have been better if the article is, eo nomine, put under a proper classification to avoid controversy over the residuary clause, AS a matter of fact in the Red Book (Import Trade Control Policy of the Ministry of Commerce) under Item 150, in Section II, which relates to "rubber, raw and gutta percha, raw", synthetic latex including vinyl pyridine latex and copolymer of styrene butadiene latex are specifically included under the sub-head "Synthetic Rubber". We do not see any reason why the same policy could not have been followed in the ICT book being complementary to each other. When an article has, by all standards, a reasonable claim to be classified under an enumerated item in the Tariff Schedule, it will be against the very principle of classification to deny it the parentage and consign it to an orphanage of the residuary clause. The question of competition between two rival classifications will, however, stand on a different footing.

36. It is not for the Court to determine for itself under Article 136 of the Constitution under which item a particular article falls. It is best left to the authorities entrusted with the subject. But where the very basis of the reason for including the article under a residuary head in order to charge higher duty is foreign to a proper determination of the kind, this Court will be loath to say that it will not interfere."

41. In the light of the above discussions, we are of the view that these petitions should be allowed and the products Harpic and Lizol having been declared to be pesticides as discussed above, would be liable to tax under Entry No.19 of the Part A of the Second Schedule of the Assam VAT Act and Dettol would be liable to be assessed as an item under Entry 21 of the Fourth Schedule of the Assam VAT Act and will not fall within the excluded category under the Explanation.

लगातार 4

29. Taking into aforesaid, in my view, the claim of the assessee that the products being sold by the assessee would fall in Entry 21 or 29 of the Act as the case made be is well reasoned and justified and the authorities were unjustified in taking it under the resiuduary Schedule (V). The claim of the assessee is just and proper.

अतएव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उपरोक्त नवीनतम निर्णय में दी गई व्यवस्था के अनुरूप उक्त दोनों विवादित उत्पाद अधिनियम की अनूसूची IV की प्रविष्टि 21 अथवा 29 से आच्छादित है एवं तदनुरूप इन पर करदेयता तत्समय की दर 5 प्रतिशत ही रहेगी। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्तर कर राशि व आनुषांगिक ब्याज राशि अपास्तनीय पाई जाती है एवं अपीलीय अधिकारी का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय की उक्त व्यवस्था के आलोक में विधिनुकूल नहीं पाया जाता है।

शास्ति के बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2009) 23 वीएसटी 249 श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू, टैक्स अपडेट वोल्यूम 43 पार्ट 4 पेज 158 का संक्षिप्त उल्लेख निम्नानुसार हैः–

"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellant's account books, where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers' turnovers disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."

चूंकि उक्त वस्तुओं पर कर दर विवादित रही है व्यवहारी ने इन वस्तुओं की पण्यार्वत को विवरणियों में दर्शाया है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय में दी गई व्यवस्था के आलोक में शास्ति का औचित्य नहीं पाया जाता है।

माननीय न्यायालयों के उपरोक्त निर्णय के विवेचनानुसार व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर कर व ब्याज के बिन्दु पर स्वीकार की जाती है एवं विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 61 के तहत प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

25.6.2017

(मदन लाल)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष